न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 01/2025
दायर दिनांक : 16/01/2025
निर्णय दिनांक : 14/10/2025

उनवान

1. रतनदेवी पत्नी चांदमल चण्डालिया निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. शांतिलाल पिता गणेशलाल चण्डालिया निवासी भूपालसागर
2. लादू पिता उदयलाल कुम्हार निवपासी भूपालसागर
3. रतन पिता नारायण माली निवासी भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण सं. 1 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई तथा सं. 2 व 3 की ओर से वकील श्री कृष्ण कुमार प्रजापत ने अधिकार पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी की जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम भूपालसागर की आ.सं. 672, 679, 697, 698, 699 किता 5 रकबा 3.08 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौडगढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.29 13:28:48 IST
Reason: SelfAttested